न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2014 निगरानी R-3810-II/14

आवेदक दशरथसिंह पुत्र श्री दीवानसिंह दांगी

निवासीगण ग्राम पडरात तहसील व जिला

विदिशा म.प्र.

श्री लखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 17.11.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17.11.14

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

अनावेदकगण 1. दीवानसिंह दांगी पुत्र रूपसिंह दांगी

2. नेतराम पुत्र रामप्रशाद दांगी निवासीगण निवासीगण ग्राम पडरात तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय विदिशा के प्रकरण क्र. 71ए–सी /13–14 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2014 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :–</u>

17.11.14

लखन सिंह धाकड़

एडवोकेट

कार्या. निवास कृष्णकुंज सज्जन नगर यादव कॉलोनी के पीछे, सागर ताल चौराहा आनंद नगर के पास बहोड़ापुर लश्कर ग्वालियर 474012

मोबा 9479512701, 9827704308

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूमि सर्वे क. 188 रकवा 0.042 है. ग्राम पडरात तहसील व जिला विदिशा म.प्र. में स्थित है। जिसे आवेदक ने विधिवत जर्ये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 02.06.14 को कय की है. उसी दिनाक से मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।
2. यह कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र तहसील न्यायालय विदिशा के समक्ष संहिता की धारा 109,110 के तहत दिनांक 23.06.14 को प्रस्तुत कर नामांतरण चाहा गया ।
3. यह कि तहसीलदार महो विदिशा द्वारा प्र.क. क्र. 71ए–सी/13–14 पर दर्ज किया जाकर नामांतरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी । तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदक के पिता दीवानसिंह दांगी पुत्र रूपसिंह दांगी

XXIX(a)-BR(H)-11

(87)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3810-दो/14 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	